



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1539 वर्ष 2026

ओमकार

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अनामिका सिंह, जितेन्द्र पाल सिंह, प्रदीप कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शेर बहादुर सिंह

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. तहसीलदार, अमरिया, जिला पीलीभीत/प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा जारी वसूली आदेश दिनांक 30-12-2024 को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिया गया है।
2. रिट याचिका के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब के नीलामी हेतु प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में याची ने आवेदन किया था तथा तत्पश्चात दस वर्ष के अवधि हेतु अर्थात् 08-08-2018 से 07-08-2028 तक के बीच याची के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, जिसे 08-08-2018 को निष्पादित किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका के उपाबंध-2 के रूप में संलग्न है। पूर्वोक्त के पश्चात, पूर्वोक्त पट्टा विलेख के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार याची को 30 जून को या पहले ₹ 50,000/- प्रति वर्ष की धनराशि जमा करने का निदेश दिया गया था।
3. रिट याचिका के पैरा-10 में यह कहा गया है कि याची ने एक वर्ष के अवधि के लिए 20-07-2018 को ₹ 12500/- तथा 04-09-2018 को ₹ 37500/- की धनराशि जमा किया है। तत्पश्चात आवश्यक सीमांकन हेतु तथा तटबंध के निर्माण हेतु याची द्वारा आवेदन दिनांक 21-05-2019 किया गया था।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त आवेदन पर स्वयं वर्ष 2019 में राजस्व अधिकारियों द्वारा अनुदेशों को मांगा गया था।
5. यह स्वीकार किया गया है कि यद्यपि याची आज भी पट्टा विलेख दिनांक 08-08-2018 के अनुसरण में अपने मत्स्य पालन अधिकारों को कर रहा है लेकिन पूर्वोक्त पट्टा विलेख के धनराशि अर्थात् ₹ 50,000/- प्रति वर्ष को एक वर्ष बाद अर्थात् 2018 से जमा नहीं किया गया है।
6. इस मामले के दृष्टिगत, याची को ₹ 50,000 की धनराशि, कुल धनराशि ₹ 2 लाख, जो विगत चार वर्ष से अधिक समय से बकाया है को जमा करने का निदेश देते हुए 30-12-2024 को याची को प्रश्नगत नोटिस जारी किया गया है।
7. अभिलेख के परिशीलन से यह मालुम होता है कि याची द्वारा किये गये अभ्यावेदनों/शिकायत के नाम में, पट्टा विलेख की धनराशि इसके द्वारा जमा नहीं की गई है।
8. इस मामले के दृष्टिगत, याची को 09.02.2026 तक जिला मजिस्ट्रेट, जिला पीलीभीत के नाम में कम से कम ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।
9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीभीत को अपने भाव तथा भाषा में इस आदेश में अनुपालन हेतु आवश्यक कदमों को उठाने का निदेश दिया जाता है।
10. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को तीन दिनों के अन्दर सी०जे०एम० पीलीभीत तथा जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को इस आदेश के प्रति को संसूचित करने का निदेश दिया जाता है।
11. 09.02.2025 को सूचीबद्ध किया जाय।

जनवरी, 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"